वे0आ0-2-373/दस-2019/62(एम)/2008टी0सी0-I

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक : 04 जुलाई, 2019

विषय- ए0सी0पी0 की अनुमन्यता हेतु सेवाओं के मापदण्ड निर्धारण पर विचार।

महोदय,

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू की गयी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की संरचना की स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश संख्या-65/2016/वे0आ0-2-1442/दस-04(एम)/2016, दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-5 में यह प्राविधान है कि राज्य कर्मचारियों के लिये वर्तमान में लागू ए0सी0पी0 की व्यवस्था पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में इस संशोधन के साथ देय रहेगी कि इसकी अनुमन्यता हेतु वर्तमान में प्रभावी संतोषजनक सेवाओं के मापदण्ड के स्थान पर संशोधित मापदण्ड बहुत अच्छा (VERY GOOD) शासनादेश के जारी होने की तिथि से निर्धारित माना जायेगा तथा शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे। विभिन्न सेवा संघों द्वारा ए0सी0पी0 की देयता हेतु प्रोन्नति से कम अथवा प्रोन्नति के बराबर मापदण्ड ही निर्धारित करने की मांग करते हुये पूर्व की भांति संतोषजनक सेवा के मापदण्ड को लागू किये जाने की मांग की जा रही है।

2- उपर्युक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय द्वारा शासनादेश दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-5 को संशोधित करते हुये उक्त शासनादेश जारी होने की तिथि से ही निम्नवत् प्रतिस्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं :-

वर्तमान व्यवस्था	संशोधित एवं प्रतिस्थापित व्यवस्था
राज्य कर्मचारियों के लिये वर्तमान में लागू ए0सी0पी0 की व्यवस्था	राज्य कर्मचारियों के लिये वर्तमान में लागू ए0सी0पी0 की व्यवस्था

Scanned by CamScanner

पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में इस संशोधन के साथ देय रहेगी कि इसकी अनुमन्यता हेतु वर्तमान में प्रभावी संतोषजनक सेवाओं के मापदण्ड के स्थान पर संशोधित मापदण्ड 'बहुत अच्छा' (VERY GOOD) इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से निर्धारित माना जायेगा। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे ।	पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में इस संशोधन के साथ देय रहेगी कि इसकी अनुमन्यता हेतु सेवा का मापदण्ड वह होगा जो वेतन मैट्रिक्स में उस लेवल के पद के लिये पदोन्नति हेतु निर्धारित है जिस लेवल की प्रथम अथवा द्वितीय अथवा तृतीय ए0सी0पी0 अनुमन्य किया जाना विचारणीय है। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे ।

भवदीय,
संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव।

<u>वे0आ0-2-373(1)/दस-2019,तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)- I एवं II तथा (आडिट)- I एवं II, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग/इरला चेक अनुभाग।
7- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सरयू प्रसाद मिश्र)
विशेष सचिव।

Scanned by CamScanner